न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१५ पुनराविलोकन (रिव्यु) निग०/3940-PBR15

निर्माण
विद्युत नगर गृह सहकारी संस्था ग्वालियर
द्वारा संचालक सुरेन्द्र सिंह भदौरिया ---- प्रार्थी

विरुध्द

१- सुरेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा
निवासी ललितपुर कालोनी, ग्वालियर ।

२- मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर । ---- प्रतिप्रार्थीगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 8.12.15 को प्रस्तुत
8.12.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनराविलोकन विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (पीठासीन माननीय श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष राजस्व मण्डल म०प्र०) दिनांक २७-११-१५, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० २७०८-पी०बी०आर०।१४ निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3940–पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2015	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2708–पीबीआर/2014 में पारित आदेश दिनांक 27–11–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	